इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2012—पौष 29, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. 634-23-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 जनवरी 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१२

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक १६ जनवरी, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १९ जनवरी, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ७ का संशोधन. २. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ (क्रमांक ४१ सन् १९९७) की धारा ७ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या उसका नामनिर्देशिती, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो, संस्थान का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा.".

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. 635-23-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No.6 OF 2012.

THE RASHTRIYA VIDHI SANSTHAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 16th January, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th January, 2012.]

An Act further to amend the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 7. 2. In Section 7 of the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997 (No. 41 of 1997), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Chief Justice of India, or his nominee who shall be a sitting Judge of the Supreme Court of India, shall be the Visitor of the Institute.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.